In the Court of Civil Judge(Sr.Div)-III, Kahalgaon

T.S. 21/2021

Md. Sarfuddin & Others..Plaintiffs

V/S

Md. Aziz & Others..Defendants

09-04-2025

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी की गयी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अपने आवेदन U/S- 151 CPC के अंतर्गत दाखिल रिकॉल आवेदन 07.10.2024 को प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0 01 से 07 दिनांक 01.12.2022 को उपस्थित हुए हैं, परंतु उनके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज और नक्शे नहीं थे जिस वजह से प्रतिवादीगण द्वारा समय पर W.S. दाखिल नहीं किया गया। श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में उक्त प्रतिवादीगण को W.S. दाखिला से वंचित कर दिया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 24.03.2023 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी सं0 01 से 07 की ओर से दिनांक 04.01.2024 को दाखिल W.S. की स्वीकृति हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है, परंतु वे मौखिक विरोध दर्ज करते हुए निवेदन करते है कि प्रतिवादी का रिकॉल आवेदन पोषणीय नहीं है, प्रतिवादीगण के द्वारा जानबूझकर विलंब करने की नियत से ससमय W.S. दाखिल नहीं किया गया। इसलिए प्रतिवादी सं0 01 से 07 के रिकॉल आवेदन को अधिक खर्चे के साथ खारिज किया जाय।

उभयपक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन सत्य है एवं उक्त प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल 07.10.2024 के आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में उक्त प्रतिवादीगण का रिकॉल आवेदन दिनांक 07.10.2024 को मो0 650/– रू0 अर्थदंड के साथ आदेश दिनांक 24.03.2023 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी सं0 01 से 07 की ओर से दिनांक 04.01.2024 को दाखिल W.S. को स्वीकृत किया जाता है । Cost की रकम वादी को अदा करें।

वाद दिनांक 03.05.2025 वास्ते अर्थदंड की राशि अदा करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें।

Civil Judge(Sr.Div)-III